कार्यालय अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक/.क्रय/निविदा/2025/15288 जबलपुर दिनांक 19/05/2025

निविदा आमंत्रण सूचना

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के लिये 2 वर्ष के लिए वाटर कूलर/वाटर फ़िल्टर/ए.सी के वार्षिक रख-रखाव (Comprehensive maintenance Contract) कार्य हेत ऑनलाइन खुली निविदा www.mptenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं।

स.क्र.	विवरण	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के लिए वाटर कूलर/वाटर फ़िल्टर/ए.सी के वार्षिक रख-रखाव (Comprehensive maintenance Contract) कार्य हेतु	10,000/-	1000/-
निविदा आनलाईन वेवसाईड www.mptenders.gov.in से पर्चेस करने की प्रारंभिक तिथि		20/05/2025 दोपहर 12:30 बजे से	
प्राइस बीड ऑनलाइन भरने कि अंतिम तिथि		10/06/2025 दोपहर 05:30 बजे तक	
निविदा की टेक्निकल बिड खोलने की तिथि		12/06/2025 दोपहर 12:30 बजे	

यदि उपरोक्त दिवस को शासकीय अवकाश घोषित हो जाता हैं तो अगले कार्य दिवस में तिथि बढी समझी जावें। निविदा मध्य प्रदेष शासन की वेबसाइड www.mptenders.gov.in से पर्चेस की जा सकती हैं।

****निविदा की शर्तें****

1- निविदा स्वीकृत होने के उपरांत संबंधित निविदाकार को इस कार्यालय से वर्ष 2025-27 (2 वर्ष) की समयावधि के लिये अनुबंध करना आवश्यक होगा। संतोषजनक कार्य होने पर कार्य को आगामी वर्षो के लिए भी बढाया जा सकता है। अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेडिकल कालेज जबलपुर का होगा।

2- निविदादाता को शासकीय विभाग में कम से कम 300 ए.सी के सुधार एवं मरम्मत कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र (निविदा तिथि से पूर्व में सम्पादित कार्य का) संलग्न करना अनिवार्य होगा/ इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

3- निविदादाता को निविदा की शर्ते के एंव संलग्न समस्त प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर रबर स्टेम्प लगाना अनिवार्य होगा।

4- निविदादाता को संस्था में स्थापित वाटर कूलर/वाटर फ़िल्टर/ए.सी के पूर्ण रख-रखाव/मेंटेनेंस करना होगा जिससे कि संबंधित कार्य सफलतापूर्वक संचालित होते रहें। उसे समय-समय पर उसकी चेंकिग, मेंटेनेंस एंव अन्य प्रकार के रख-रखाव की व्यवस्था हेतु आवश्यक मैकेनिक/इंजीनियर की व्यवस्था करनी होगी। लगने वाले समस्त स्पेयर पार्टस,कंज्युमेब्ल्स एवं गैस चार्जिंग(इन्वर्टर/नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर हेतु) आदि की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी, जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

5- प्रत्येक निविदादाता को पिछले एक वर्ष का आयकर व अन्य कर के बकाया न होने संबंधी घोषणा पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित अथवा आयकर कार्यालय से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6- सफल निविदादाता को कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए कक्ष में सुधार एवं मरम्मत कार्य में उपयोग किये जाने वाली समस्त सामग्री का अग्रिम स्टॉक रखना अनिवार्य है।

7- अत्यंत आवश्यक होने पर एयर कंडीशनर/वाटर कूलर हेतु Compressor, PCB, coil तथा अतिरिक्त Copper pipe, इत्यादि सम्बंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी व वर्कशॉप द्वारा अधिकृत कर्मचारी की संयुक्त अनुशंसा उपरांत प्रथक से क्रय कर उपलब्ध कराये जायेंगे।

8- किसी भी तरह की खराबी के कारण उपरोक्त वाटर कूलर/वाटर फ़िल्टर/ए.सी से संबंधित कार्य कुछ समय तक कार्य नहीं करते है तो उसे तुरन्त सुधारने का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। सूचना देने पर सुधार कार्य करने हेतु अविलम्ब पहुचना अनिवार्य होगा।

9- वाटर कूलर/वाटर फ़िल्टर/ए.सी संचालन या उपयोग में कभी किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती हैं तो उसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। उक्त दुर्घटना से यदि किसी व्यक्ति को कोई क्षति होती है तो उसके लिये संस्था किसी प्रकार से भी उत्तरदायी नहीं रहेगी।

10- निविदाता के पास किसी कम्पनी के अधिकृत सर्विस सेन्टर का प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

11- ऐसे निविदा दाता जिनके जबलपुर में इंजिनियर उपलब्ध हो एंव शासकीय संस्थानों में कार्य करने का ज्यादा अनुभव हो उन्हें कार्य आदेश देने में वरियता दी जावेगी। इस हेतु सर्विस सेन्टर/इंजिनियर का पूर्ण पता, टेलीफोन/मोबाईल न. सहित विवरण देना आवश्यक है।

12- कार्यादेश जारी होने के 7 दिन के अंदर सफल निविदादाता को निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबंध हस्ताक्षरित करना होगा।

13- वाटर कूलर/वाटर फ़िल्टर/ए.सी के सुधार कार्य पश्चात् 24 घण्टें तक संतोषजनक रूप से कार्य न करने पर यह माना जावेगा कि सुधार कार्य संतोषजनक रूप से नहीं किया जा रहा ऐसी स्थिति में उक्त उपकरण के कार्य न करने वाले दिवसों के अनुमानित भुगतान का दुगना भुगतान पेंनाल्टि के रूप में लिया जावेगा/इतना भुगतान नहीं किया जावेगा।

14- सफल निविदाकार के इंजीनियर, रिपेयर टीम (समस्त सुरक्षा उपकरणों के साथ) सुबह 10:00 से शाम 06:00 बजे तक संस्था में उपस्थित रहना होगा |

15- स्वीकृतिकर्ता अधिकारी या क्रय समिति को अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकेगी। निविदा की किसी भी शर्तो में परिवर्तन या शिथलीकरण कर सकेगीं। निविदा आमंत्रण करने के पश्चात कार्यादेश जारी किया जाना आवश्यक नहीं हैं। कार्यादेश समिति की अनुशंसा पर ही दिये जायेगें।

16- उपरोक्त निविदा शर्ते का उल्लंघन किये जाने की दशा में या कार्य संतोषजनक सम्पादित न करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर सफल निविदादाता को 7 दिन का सूचना देकर निविदा समाप्त करने की कार्यवाही कर सकेगा। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई धरोहर/प्रतिभूति राशि भी राजसात कर ली जावेगी।

17- निविदाकार का स्वयं निविदा भरने से पूर्व उपस्थित होकर उपरोक्त वाटर कूलर/वाटर फ़िल्टर/ए.सी का चाहे गये कार्य स्थल का अवलोकन एवं वाटर कूलर/वाटर फ़िल्टर/ए.सी की उचित गणना संस्था के विभागाध्यक्षों/प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति में करना अनिवार्य है | वर्त्तमान में संस्था में लगभग 500 ए.सी एवं 50 वाटर कूलर/वाटर फ़िल्टर स्थापित है |

18- सामान्य रूप में तीन माह के अंत में सफलतापूर्वक कार्य सम्पादित करने के पश्चात् किये गए कार्य अवधि का भुगतान सम्बंधित विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा देयकों के सत्यापन पश्चात् किया जावेगा।

19- सफल निविदाकार को **राशि रु 50,000/-** की सुरक्षा निधि Bank Draft/DD के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है |यदि सफल निविदाकार द्वारा समय पर सुधार कार्य न किये जाने अथवा कार्य संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में, संस्था द्वारा किसी अन्य फर्म से सुधार कराये जाने पर अन्य फर्म को किये गए भुगतान की राशि सफल निविदाकार द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि से काटी जावेगी |

20- किसी भी न्यायालयीन विवाद के निराकरण का क्षेत्राधिकार जबलपुर न्यायालय में ही होगा।

19/05

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

<u>संलग्न दस्तावेजों की सूची:</u>

लिफाफा 'ए' में संलग्न:

1. मूल निविदा प्रपत्र, प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा आधिकारिक मुहर सहित हस्ताक्षरित, होना चाहिए, जिससे हमारे नियमों और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि हो सके।
2. आपके बैंक द्वारा जारी की गई अच्छी वित्तीय स्थिति और व्यवहार की प्रमाण पत्र।
3. जीएसटी पंजीकरण की प्रति।
4. पैन कार्ड की प्रति।
5. आपकी कंपनी / फर्म का पंजीकरण प्रमाणपत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
6. शपथपत्र जिसमें यह घोषित किया गया हो कि निविदाकार का किसी भी संस्था द्वारा काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में नाम नहीं है और उसने न्यूनतम मूल्य की पेशकश की है।
7. किसी भी एयर कंडीशनर OEM (मूल उपकरण निर्माता) और वाटर कूलर OEM से प्राप्त वैध प्राधिकरण प्रमाण पत्र।
8. किसी भी सरकारी क्षेत्र में समान सेवाएं प्रदान करने का कम से कम पिछले 3 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र।

19/05

निविदा का प्रारूप

द्वारा:-

....

....

....

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर।

महोदय,

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज एंव संबंद्ध चिकित्सालयों में ए.सी./वाटर कूलर के सुधार कार्य एंव वार्षिक रखरखाव कार्य हेतु मोहर बन्द निविदा सूचना ....समाचार पत्र में प्रकाशित की गई है। कार्यालय से अभिप्राप्त निविदा की शर्ते पर अपनी निविदा उपरोक्त कार्य हेतु प्रस्तुत है। मेरे/हमारे द्वारा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नहीं की गई है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

सहपत्र:-

1.

2.

3.

///घोषणा पत्र///

1. मैं/हम भारत का नागरिक है/हूँ।
2. मैं/हम भारतीय संविधान अधिनियम के अनुसार संविधान के लिए सक्षम हूँ/है।
3. मेरे/हमारे पास 03 वर्ष का उपरोक्त उपकरणों के संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र (निविदा तिथि से पूर्व में सम्पादित कार्य का) है।
4. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्ते के अलावा कोई भी शर्ते प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गई है तो उसे अमान्य किया जाये।
5. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी शुल्क दर से कम शुल्क दर की निविदा म.प्र. राज्य की किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. मेरे/हमारे फर्म को किसी संस्था से ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है और न ही कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण आदेश निरस्त नहीं किया गया है।

दिनांक:- संस्था:- निविदाकार के हस्ताक्षर

फोन न. नाम:-

मोबाईन न. पुरा पता:-

ई-मेल:-